राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

चतुर्थ तल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल व्यावसायिक परिसर, (दक्षिण पूर्व कॉर्नर)
सेक्टर–27, अटल नगर, रायपुर, पिन–492015 (छत्तीसगढ)
दूरभाष–0771–2511280, फैक्स–0771–2511285, ई–मेलः office.mdnrhm@gmail.com

पत्र क्रमांक / एनएचएम / एचआर / 2019 / 329 / 611   अटल नगर, रायपुर, दिनांक 03 / 06 / 2019

:: आदेश ::

एतद् द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 04.05.2019 का कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक / एन.एच.एम. / EC-meeting / 2019 / NS-210 / 422 अटल नगर, रायपुर दिनांक 22.05.2019 अनुसार एजेण्डा क्रमांक–08 में समिति द्वारा अनुमोदन पश्चात राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत मानव संसाधन नीति, 2018 में संलग्न परिशिष्ट अनुसार आवश्यक संशोधन किये गये हैं, जो निम्नानुसार हैः–

संशोधित बिन्दु :–

1. पूर्व में मानव संसाधन नीति, 2018 के कंडिका 11 में उल्लेखित आवेदन शुल्क की तालिका को विलोपित कर निम्न तालिका अनुसार निर्धारित शुल्क देय होगा।

वर्ग	मानदेय प्रतिमाह <=25000	मानदेय प्रतिमाह >25000
विकलांग / अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला	100	200
अन्य पिछड़ा वर्ग	200	300
अनारक्षित वर्ग	300	400

2. **अंतिम सूची :–**

25.1 परीक्षा हेतु निम्नानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
(अ) कौशल परीक्षा हेतु –

शैक्षणिक योग्यता + अनुभव के अंक

(ब) अंतिम चयन सूची निम्नानुसार तैयार की जावेगी –

शैक्षणिक योग्यता + अनुभव के अंक + कौशल परीक्षा के अंक

3. जिला स्तर पर की जाने वाली भर्ती में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत पद जिनका मासिक वेतन रू. 16,500 /– प्रतिमाह या रू. 16,500 /– प्रतिमाह से कम हो उन पदों पर संबंधित जिले के पात्र मूल निवासियों को प्राथमिकता दिया जावेगा। संबंधित जिले में पात्र मूल निवासी नहीं मिलने की स्थिति में राज्य के अन्य जिलों के पात्र अभ्यर्थियों को मेरिट क्रमानुसार प्राथमिकता दिया जावेगा।
4. मानव संसाधन नीति, 2018 की कंडिका 35–अवकाश नियम अंतर्गत बिन्दु क्रमांक 35.5 –प्रसूति अवकाश–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के तहत् प्रदेश में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में कार्यरत समस्त तकनीकी एवं प्रबंधकीय महिला संविदा अधिकारियों–कर्मचारियों हेतु प्रसूति अवकाश 90 दिवस का होगा को विलोपित करते हुये 90 दिवस के स्थान पर 180 दिवस किया गया है। अतः संविदा पर नियोजित महिला कर्मचारियों को 180 दिवस अथवा संविदा की कालावधि की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रसूति अवकाश (सवैतनिक) अनुज्ञेय होगा। यह अवकाश दो जीवित संतान के उपरांत हुए प्रसव पर अनुज्ञेय नहीं होगा।

5. जीवित बच्चों की संख्या पर ध्यान दिये बिना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत किसी महिला अधिकारी/कर्मचारी को गर्भपात अथवा गर्भस्त्राव के मामले में उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित अवधि तक के लिये पूरे सेवा काल में 45 दिन की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुये, प्रसूति अवकाश मंजूर किया जा सकता है।

6. मानव संसाधन नीति, 2018 के कंडिका 36–यात्रा एवं दैनिक भत्ता अंतर्गत राज्य स्तरीय अधिकारी जिनका वेतन रू. 45000 या रू. 45000 से अधिक हो उन्हें Category-II हेतु निर्धारित यात्रा एवं भत्ते की पात्रता होगी।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/एनएचएम/एचआर/2019/329/611 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 03/06/2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ।
4. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ।
5. संचालक, परिवार कल्याण, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ।
6. जिला कलेक्टर, सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जिला समस्त को सूचनार्थ।
7. संचालक (वित्त), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ।
8. उपसंचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ।
9. उपसंचालक/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला समस्त (छ.ग.) को सूचनार्थ।
11. सिविल सर्जन सह–मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला (छ.ग.) को सूचनार्थ।
12. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला प्रबंधक (प्रशिक्षण/एच.आर.)/जिला लेखा प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला समस्त जिला (छ.ग.) को सूचनार्थ।
13. कार्यालयीन प्रति।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)